संख्या :703/उन्तीस/17–2 (21 पेय.)/2017

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1. **निदेशक,**
परियोजना प्रबन्धन इकाई,
स्वजल परियोजना

2. **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून

3. **मुख्य महाप्रबन्धक,**
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग– 2

देहरादून, दिनांक 22 मई, 2017

विषयः **उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जल स्रोतों की मैपिंग हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 698/उन्तीस/17–2(23पे0)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं स्वजल निदेशालय द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत जल संस्थान एवं ग्राम पंचयातों के रखरखाव के अधीन पेयजल योजनाओं के जल स्रोतों के वृहद मैपिंग के कार्य का शुभारम्भ दिनांक 25 मई 2017 को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. भारत सरकार की वैबसाईट (www.mdws.gov.in) पर उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 29571 पेयजल स्रोत विद्यमान है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त स्रोतों की फोटोग्राफ एवं Geo Tagging कराया जाना अनिवार्य किया गया है। समय–समय पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम की समीक्षा, श्रोतों के भौतिक सत्यापन एवं स्थानीय प्रति सूचना द्वारा संज्ञान में लाया जाता है कि कई स्रोतों का वास्तविक जल स्राव ऑकड़ों से भिन्न है तथा समय के साथ स्रोतों के जल स्राव में परिवर्तन हुआ है, जोकि वर्तमान में उपलब्ध डाटाबेस में परिलक्षित नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्रोतों के सटीक व सही ऑकड़े एकत्र कराये जाने अत्यन्त अनिवार्य है। भविष्य में प्रस्तावित विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना में भी राज्य के सम्पूर्ण पेयजल सेक्टर हेतु पेयजल स्रोतों के अद्यावधिक ऑकड़े एम0 एण्ड ई0 (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) सिस्टम पर प्रविष्ट किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इन समस्त स्रोतों के मैपिग का कार्य एक वृहद कार्य है।

3. उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों के मैपिंग हेतु स्वजल निदेशालय को राज्य स्तर पर नोडल संस्था एवं जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई– स्वजल परियोजना को नोडल नामित किया जाता है। स्वजल द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान व अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जल स्रोत मैपिंग का कार्य किया जायेगा।

4. शासनादेश संख्या 677/उन्तीस–2(05पे0)/2005 दिनांक 16 अप्रैल, 2005 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय जल संवर्द्धन मिशन गठित है। उक्त समिति से व्यापक

समन्वय स्थापित करते हुए जल स्रोत मैपिंग का मापन कार्य किया जायेगा। जनपद में विभिन्न विभागों में Global Positioning System (GPS) उपकरण उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग कर जल स्रोत का स्थान निश्चित करने हेतु उक्त स्रोत का देशान्तर (Longitude) तथा अक्षांश (Latitude) की रीडिंग ली जायेगी। जल स्राव मापन हेतु गठित टीम को आवश्यक संसाधन यथा मापन संयत्र, पोर्टेबल वी–नॉच (Portable V-Notch) जल संस्थान/पेयजल निगम के स्थानीय खण्डों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। स्रोतों की फोटोग्राफी करना भी सुनिश्चित की जायेगी। स्वजल निदेशालय द्वारा स्राव मैपिंग तथा मापन हेतु आवश्यक पैरामीटर सम्बन्धी प्रपत्र निर्धारित किया जायेगा। प्रपत्र इस प्रकार विरचित किया जायेगा कि संकलित की जाने वाली सूचनाओं का उपयोग भविष्य में निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं के साथ–साथ जल ग्रहण क्षेत्र के उपचार करने में भी उपयोग किया जा सके तथा भारत सरकार एवं विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं की रिर्पोटिंग आवश्यकताऐं (reporting requirements) की पूर्ति कर सके।

5. स्वजल जिला इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम/उत्तराखण्ड जल संस्थान के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों के मैपिंग हेतु प्रथम चरण में न्यूनतम 500 ऐसे पेयजल स्रोतों का चयन किया जायेगा एवं स्रोत मैपिग हेतु सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित कराया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु टीम में तीन निम्न सदस्य होंगे:–

(1) तकनीकी सलाहकार/पर्यावरण विशेषज्ञ/सामुदायिक विकास विशेषज्ञ, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई–स्वजल।

(2) उत्तराखण्ड पेयजल निगम/उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्धित खण्ड से प्रतिनिधि।

(3) सुरक्षा कर्मी/रनर जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई–स्वजल।

6. उपरोक्त टीम परियोजना प्रबन्धक–स्वजल परियोजना, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (सम्बन्धित खण्ड) एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान (सम्बन्धित खण्ड) के निर्देशन में कार्य करेगी। उक्त टीम उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप–समिति/ स्थानीय जन प्रतिनिधि जो स्रोत से भिज्ञ हो, के सहयोग से जन सहभागिता के आधार पर कार्य करेगी। सर्वेक्षण टीम को नियमानुसार यात्रा भत्ता/अनुसांगिक व्यय अनुमन्य होगा, जिसकी दरें पृथक से स्वजल निदेशालय द्वारा सूचित की जायेंगी। उक्त व्यय को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सहयोग मद में भारित किया जायेगा। प्रथम चरणों में किये जाने वाले स्रोत मैपिंग के कार्यों का जनपदवार लक्ष्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान से सहयोग लेते हुए स्वजल निदेशालय द्वारा पृथक रूप से निर्धारित किया जायेगा।

7. प्रथम चरण के अन्तर्गत जल स्रोतों के मैपिंग के कार्यों को निम्न समय–सारणी के अनुसार पूर्ण किया जायेगा:–

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	कार्य सम्पादित करने की तिथियां
1	स्वजल निदेशालय द्वारा जल स्रोत मैपिंग हेतु प्रारूप निर्धारित करना।	22 मई, 2017 से पूर्व
2	स्वजल एवं जल संस्थान के कर्मियों को स्रोत मापन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण।	22 मई, 2017
3	स्वजल के कर्मियों द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान/उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सहयोग से न्यूनतम 500 जल स्रोतों का स्थलीय निरीक्षण करके सूचनाएं एकत्रित करना।	26 मई, 2017 से 30 जून, 2017 /वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व

8. प्रथम चरण के कार्यों के उपरान्त स्रोतों के मैपिंग के कार्यों को व्यापक रूप से विभिन्न चरणों में सम्पादित करवाते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पादित कराया जायेगा।

9. उक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कियान्वित करना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या : 703(1)/उन्तीस/17–2 (21 पेय.)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।